तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/12/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत [illegible] साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 5/1/26 को पेश हो [illegible]
5/1/26	[illegible] पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा [illegible] उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। [illegible] कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत [illegible] अगली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 16/1/26 को पेश हो
16/1/26	[illegible] हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा [illegible] अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है [illegible] कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत [illegible] अगली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 30/1/26 को पेश हो
30/1/26	वकील प्रार्थी उप०। बहस प्रा०पत्र सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं बहस उभयपक्ष पर मनन कर प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बादतामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
[illegible]

[illegible]	तारीख [illegible]	तारीख फैसला
[illegible]	17.10.2025	30.01.2026

[illegible] तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0। ....प्रार्थी

बनाम

...........अप्रार्थी

[illegible] तहसीलदार तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री [illegible] सिंह सोलंकी
अधिवक्ता अप्रार्थी :- पेरोकार सरकार

= : : निर्णय : : =

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि
खतोनी सं0 नई 328 पुरानी 1 ख0सं0 876/121 रकबा 0.7689 है0 वाके ग्राम तीकरिया
चारणान पटवार हल्का तीकरया चारणान भू0अ0निरी0 वृत तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान
में स्थित है। जिस पर प्रार्थिया काबिज काश्त है। प्रार्थिया उपरोक्त आराजी पर तारबन्दी करवाना
चाहती है जिसके लिए उक्त भूमि पर तहसीलदार तालेडा से सीमाज्ञान करवाया। उक्त सीमाज्ञान से
प्रार्थिया सन्तुष्ट नही है क्योंकि प्रार्थिया की भूमि का औपचारिक रूप से सीमाज्ञान किया गया है
इसलिए प्रार्थिया की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी तहसीलदार तालेडा से करवाई जाने बाबत उक्त
विवादित आराजियात माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने से माननीय न्यायालय को
प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थिया की खातेदारी अधिकार
की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नई 328 पुरानी 1 ख0सं0 876/121 रकबा 0.7689 है0
वाके ग्राम तीकरिया चारणान पटवार हल्का तीकरया चारणान भू0अ0निरी0 वृत तालेडा तहसील तालेडा
जिला बून्दी की मौके पर पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब
किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से अनापति जाहिर की है।

साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से नकल जमाबन्दी खतोनी सं0 नई 328 पुरानी 1 ख0सं0
876/121 रकबा 0.7689 है0 वाके ग्राम तीकरिया चारणान पटवार हल्का तीकरया चारणान
भू0अ0निरी0 वृत तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान संवत 2076 एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट की
प्रति पेश की।

बहस सुनी गई व बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया।
पत्थरगढ़ी विषयक भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार मे अंकित है प्रार्थी अपनी भूमि
की सीमाओं की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है प्रार्थी को अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार
प्राप्त है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना कानून सम्मत व उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को 1000/- रु0 फीस मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व प्रार्थिया द्वारा नियमानुसार मौका कमिश्नर फीस व अन्य निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरान्त खतौनी सं0 नई 328 पुरानी 1 ख0सं0 876/121 रकबा 0.7689 है0 वाके ग्राम टीकरिया चारणान पटवार हल्का टीकरया चारणान भू0अ0निरी0 वृत तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान संवत 2076 की पत्थरगढ़ी मौके पर फसल व विवाद न होने की स्थिति पर प्रार्थी एवं समीपस्थ खातेदारान् की उपस्थिति में किये जाने के आदेश दिये जाते है। वाद वर्णित आराजी से सम्बन्धित किसी न्यायालय का स्थगन आदेश हो तो तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नियमानुसार बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा